उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की दिनांक २१.४.९५ को सम्पन्न हुई वर्ष १९९५ की द्वितीय बैठक का कार्यवृत्त ।

दिनांक २१.४.९५ की बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :-

१.	सर्वश्री बृजेन्द्र सहाय, अध्यक्ष/मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन ।	अध्यक्ष
२.	श्री विजय शर्मा, सचिव आवास, उ०प्र० शासन ।	सदस्य
३.	श्री हरीश चन्द्र, आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद ।	सदस्य
४.	श्री आर०एस० माथुर, प्रमुख सचिव/महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम विभाग, उ०प्र० शासन ।	सदस्य
५.	श्री वी०के० मित्तल, प्रमुख सचिव वित्त, उ०प्र० शासन ।	सदस्य
६.	श्री पी०के० झा, मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक ।	सदस्य
७.	श्री आशुतोष त्रिपाठी, मुख्य अभियन्ता, (प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जलनिगम के प्रतिनिधि)	सदस्य
८.	श्री एस०के० वर्मा, मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद ।	सदस्य
०.	श्री ए०के० सिंह, अपर आवास आयुक्त एवं सचिव ।	सचिव

विशेष आमन्त्री के रूप में :-

१. श्री ए०के० पचौरी,
मुख्य वास्तुविद नियोजक ।

२. श्री आर०के० श्रीवास्तव,
वित्त नियन्त्रक एवं मुख्य लेखाधिकारी ।

बैठक में विचार-विमर्श के पश्चात सर्वसम्मत् से निम्नवत् निर्णय लिया गया :-

क्र०सं०	विषय	संकल्प संख्या	निर्णय
१.	परिषद की प्रथम बैठक दिनांक २१.२.९५ की कार्यवृत्त की पुष्टि ।	द्वितीय/(१)/९५	मद सं०-९ व २१ को छोड़कर पुष्टि की गयी । मद सं०-२१ के बारे में निर्णय लिया गया कि पुनः पूरे प्रकरण पर जांच करवाकर परिषद की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय ।

२.	परिषद की प्रथम बैठक दिनांक २१.२.९५ की अनुपालन आख्या ।	द्वितीय/(२)/९५	अवलोकित की गयी ।
३.	[illegible] मार्ग योजना सं०-१, [illegible]केश में परिषद परियोजना [illegible] अन्तर्गत ०५नग अल्प आय वर्ग [illegible] ६० प्रकार के भवनों में [illegible] हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के संबंध में ।	द्वितीय/(३)/९५	अवलोकित की गयी ।
४.	[illegible]स नगर योजना, लखनऊ में [illegible] वित्त पोषित परियोजना [illegible]-सी० के अन्तर्गत प्रस्तावित ० नग ४०१ टाईप(६४/१३७) प्रकार के सेमीफिनिश्ड भवनों के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में ।	द्वितीय/(४)/९५	अवलोकित की गयी ।
५.	[illegible] सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत [illegible] द्वारा पुर्नरीक्षित किये [illegible] लक्ष्यों की पूर्ति हेतु दुर्बल आय वर्ग के ३३७ भवन तथा अल्प आय वर्ग के ६०७ भवनों के निर्माण के लिये प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में ।	द्वितीय/(५)/९५	अवलोकित की गयी ।
६.	[illegible]हियानगर योजना(विकासनगर) विस्तार) लखनऊ के प्रथम फेज में स्वंय वित्त पोषित परियोजना ९४ 'ए०' के अन्तर्गत ०४ एस (६९/१४२) प्रकार के ५३ नग फिनिश्ड एवं १२४ नग सेमी फिनिश्ड भवनों के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में ।	द्वितीय/(६)/९५	अवलोकित की गयी ।
७.	वर्ष ९२-९३ की बैलेन्स शीट हेतु परिषद की व्याख्यात्मक टिप्पणी ।	द्वितीय/(७)/९५	परिषद द्वारा अवलोकित की गयी ।
८.	परिषद की लोहियानगर योजना फर्रूखाबाद में समाजवादी पार्टी के कार्यालय हेतु आवंटित मध्यम आय वर्ग भवन सं०-१/२ व १/३ का मूल्य सामान्य आवंटियों की भांति निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में ।	द्वितीय/(८)/९५	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।

९.	भारत जन ज्ञान विज्ञान समिति को इन्दिरानगर योजना लखनऊ (सैक्टर-९) में १००० वर्ग मीटर भूमि आवंटित करने के संबंध में ।	द्वितीय/(९)/९५	निर्णय लिया गया कि परिषद के निर्णय दिनांक ६.७.९३ के क्रम में स्थानीय समिति की संस्तुति के बाद पुनः परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाय । यदि कोई स्वीकृति अथवा आवंटन किया गया है, तो स्थगित कर दिया जाये ।
१०.	स्वंय वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार एवं सेना के अधिकारियों/कर्मचारियों को भवन निर्माण अग्रिम स्वीकृत करने में हुए विलम्ब हेतु दण्डब्याज में छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में ।	द्वितीय/(१०)/९५	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।
११.	गाजियाबाद स्थित वसुन्धरा योजना के अन्तर्गत श्री ए०के०गुप्ता डिप्टी डायरैक्टर, इन्टैलिजेन्स ब्यूरो, मिनिस्ट्री आफ होम एफेयर्स को आवंटित स्वंय वित्त पोषित भवन सं०-१५/१६५ के विरूद्ध देय दण्ड ब्याज को माफ करने के संबंध में ।	द्वितीय/(११)/९५	यह निर्णय लिया गया है कि मद सं०-१०के अनुमोदन के अनुसार दण्ड ब्याज में छूट दी जाय ।
१२.	वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद में स्थापित कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को विशेष वाहन भत्ता दिए जाने के सम्बन्ध में ।	द्वितीय/(१२)/९५	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।

अध्यक्ष(म०) की अनुमति से ०३ अन्य प्रकरण रखे गये थे जो क्रमशः निम्न प्रकार है :-

१३.	श्री आर०के०वर्मा, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता के देयकों के भुगतान के संबंध में ।	द्वितीय/(१३)/९५	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।
१४.	परिषद के कार्य कलापों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा ।	द्वितीय/(१४)/९५	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।
१५.	परिषद की राजाजीपुरम योजना, लखनऊ में समाविष्ट ग्राम-जफरपुर उर्फ रूकुन्दीपुर खसरा सं०-३९,७१,७२ व ९० की भूमि के सम्बन्ध में ।	द्वितीय/(१५)/९५	निर्णय लिया गया कि परिषद द्वारा पूर्व में पारित संकल्प संख्या-प्रथम/(९)/९५ दिनांक २१.२.९५ निरस्त किया जाता है ।

मद संख्या-०७ को छोड़कर शेष की पुष्टि की गई ।

मद संख्या-०७ के विषय में यह निर्णय लिया गया कि वर्ष १९९२-९३ की बैलेंस शीट एवं परिषद की अन्य वर्षों की बैलेंस शीट ACCRUALS के आधार पर बनाई जाय अथवा ACTUALS के आधार पर इस संबंध में प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा की गई टिप्पणी के अनुसार परीक्षण कर आख्या अध्यक्ष महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित की जाय ।

अध्यक्ष